

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत नाथावतों का गुड़ा, पटवार क्षेत्र वरड़ा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर में साबिक आराजी नम्बर 49, 79, 86, 87, 111, 132, 133, 134, 135, 136 व 137 कुल किता 11 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थिति है, जिसके हाल आराजी नम्बर 37, 38, 59, 60, 66, 67, 68, 74, 80, 81, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 395, 396, 297, 321 कुल किता 21 कुल रकबा 1.5250 हेक्टेयर होकर राजस्व रेकार्ड में हमेरसिंह पिता नवल सिंह 1/2 हिस्से व देवी सिंह पिता नवल सिंह 1/2 हक व हिस्से से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। जिसमें से हमेरसिंह पिता नवलसिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद उनका 1/2 हक व हिस्सा विरासत से जरिये नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 द्वारा स.भू-प्रबन्ध अधिकारी-प्रथम, उदयपुर से रेस्पोडेंट संख्या-2 श्री बाबूसिंह के नाम स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 से क्षुब्ध होकर रेस्पोडेंट संख्या-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2012 से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 को निरस्त कर तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशित किया कि श्रीमती गुलाब कुंवर एवं श्री बाबूसिंह के पिता श्री हमेरसिंह पिता नवल सिंह राजपूत, निवासी नाथावतों का गुड़ा के विधिक वारिसानों की पुनः जांच की जाकर श्री हमेरसिंह के नाम अंकित मरूसी भूमि का विधिक नियमों के अन्तर्गत नामान्तकरण खोला जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावें। उक्त निर्णय दिनांक 02.07.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या-1 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेन्टस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि श्री बाबूसिंह ने विरासत से अपने नाम दर्ज हुए 1/2 हक व हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1985 से अपीलान्ट को विक्रय कर दिया गया जो विक्रय के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार उक्त जमीन पर खरीद के बाद से ही अपीलान्ट व उसके पिता देवी सिंह का ही कब्जा चला आ रहा था क्योंकि उक्त जमीन को हमेर सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट के पिता को दिनांक 29.08.1945 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, इस बाबत स्टांप पर लिखापट्टी भी कर दी थी लेकिन राजस्व रेकार्ड में उक्त जमीन हमेरसिंह के नाम पर

ही दर्ज चली आने से बाद में उसका विरासत से नामान्तरकरण रेस्पोंडेंट संख्या-2 ने अपने नाम खुलवा लिया जिसके चलते अपीलान्त ने उक्त रेस्पोंडेंट संख्या-2 से पुनः अपने नाम पर दिनांक 10.05.1985 को रजिस्ट्री कराई गई। इस प्रकार उक्त जमीन पर शुरू से अपीलान्त का ही कब्जा चला आ रहा है, वही उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त जमीन राजस्व रेकार्ड में अपीलान्त के पिता के नाम दर्ज होने एवं कब्जा होने की जानकारी रेस्पोंडेंट संख्या-1 को शुरू से होते हुए भी उसके द्वारा इतने वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और बाद में बगैर अपीलान्त को पक्षकार बनाये विरासत से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 112 को निरस्त कराने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जहा रेस्पोंडेंट संख्या-2 द्वारा भी विरोध नहीं करने से अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या-112 को निरस्त कर दिया गया जो अपीलान्त के हक व हितों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त जमीन हमेर सिंह की मौरूसी जमीन थी जिनकी मृत्यु के बाद विरासत से उक्त जमीन उनके लडके रेस्पोंडेंट संख्या-2 बाबूसिंह के नाम दर्ज की गई जिस मौरूसी जमीन में हमेरसिंह की पुत्री रेस्पोंडेंट संख्या-1 गुलाबकुंवर का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, यानि उक्त जमीन का एकमात्र को-पार्सनर श्री बाबूसिंह ही था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि जिला कलक्टर के यहा पर सेटलमेन्ट की कार्यवाही बन्द हो जाने के बाद अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर राजस्व रेकार्ड को देखे व मौके की जांच कराये उक्त निर्णय फरमा दिया जो विधि विरुद्ध है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त निर्णय के उपरान्त अपने नाम पर उक्त जमीन दर्ज करा आगे रेस्पोंडेंट संख्या-3 को विक्रय की जो रेस्पोंडेंट संख्या-3 द्वारा अपने नाम दर्ज कराने से अपीलान्त के हक व अधिकार से विपरित होने से सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में जो आराजी नम्बर अंकित किये गये, वह आराजी नम्बर 55, 81, 82 व 142/1 कुल किती 4 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा थे, फिर भी उक्त आराजी नम्बर की आड में अपीलान्त की खरीदशुदा जमीन बाबत भी नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। अपीलान्त द्वारा अपील में अपील प्रस्तुत करने के देरी के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.07.2012 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त जमीन को पुनः अपीलान्त के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट-1 ने अपनी बहस में बताया कि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी-प्रथम, उदयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 को विधि

व तथ्यों को बिना जांचे हुए केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। विवादित भूमि के एक मात्र मालिक एवं काबिज श्री हमेरसिंह ही थे। श्री हमेरसिंह श्री बाबुसिंह एवं श्रीमती गुलाबकुंवर के पिता थे एवं श्रीमती जडावकुंवर उनकी पत्नि थी। श्री हमेरसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि उनके पुत्र, पुत्री एवं पत्नि के पास आई परन्तु श्री बाबुसिंह द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या-4 से मिल विवादित भूमि केवल उनके नाम करा दी जबकि गुलाबकुंवर एवं हमेरसिंह की पत्नि श्रीमती जडाव कुंवर भी पुत्री/पत्नि होकर वारिस है। श्रीमती जडावकुंवर की मृत्यु के उपरान्त श्री बाबुसिंह एवं श्रीमती गुलाबकुंवर का श्री हमेरसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी आराजीयात में बराबर हिस्सा था, उनकी भूमि मौरूसी जायदाद है। हमेरसिंह की मृत्यु उपरान्त उसकी स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि पर श्री बाबुसिंह, श्रीमती गुलाबकुंवर एवं उनकी पत्नि संयुक्त रूप से स्वामी होकर कब्जा होकर संयुक्त रूप से उपयोग-उपभोग कर रहे हैं एवं श्रीमती जडावकुंवर के स्वर्गवास उपरान्त श्री बाबुसिंह एवं श्रीमती गुलाबकुंवर मालिक व काबिज हैं। श्रीमती गुलाब कुंवर स्व. श्री हमेरसिंह की जायंदा पुत्री है, परन्तु नामान्तकरण संख्या 112 सिर्फ बाबुलाल के हक में स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, उदयपुर निर्णय दिनांक 02.07.2012 से अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 को निरस्त कर तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशित किया कि श्रीमती गुलाब कुंवर एवं श्री बाबुसिंह के पिता श्री हमेरसिंह पिता नवल सिंह राजपूत, निवासी नाथावतों का गुड़ा के विधिक वारिसानों की पुनः जांच की जाकर श्री हमेरसिंह के नाम अंकित मरूसी भूमि का विधिक नियमों के अन्तर्गत नामान्तकरण खोला जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उसके अनुसरण में तहसीलदार, बड़गांव द्वारा तथ्यों की पूर्ण जांच कर निर्णय दिनांक 06.08.2015 पारित किया गया और उनके अनुसरण में नामान्तकरण 169 स्वीकृत किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त नामान्तकरण उपरान्त उक्त आराजी भूमि बाबुसिंह व गुलाबकुंवर के नाम दर्ज हुई व गुलाब कुंवर ने अपने नाम बतौर खातेदार व स्वामित्व एवं कब्जे के आधार पर विक्रम सिंह को विधि अनुसार विक्रय पत्र लिख कर उसका पंजीयन कराया, और नामान्तकरण संख्या 171 से विक्रम सिंह के नाम दर्ज हुई, उक्त विक्रय विधि अनुसार सही है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-1 ने अपील अपीलान्त अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 02.07.2012 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री हमेरसिंह श्री बाबुसिंह एवं श्रीमती गुलाबकुंवर के पिता थे

एवं श्रीमती जडावकुंवर उनकी पत्नि थी। श्री हमेरसिंह की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र, पुत्री एवं पत्नि वारिस है। श्रीमती जडावकुंवर की मृत्यु के उपरान्त श्री बाबुसिंह एवं श्रीमती गुलाबकुंवर का श्री हमेरसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी आराजीयात में बराबर हिस्सा था, उनकी भूमि मौरूसी जायदाद है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों वारिसानों का मौरूसी जायदाद में हक व अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। उक्त परिस्थितियों और तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2012 से श्रीमती गुलाब कुंवर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.02.1985 को निरस्त कर तहसीलदार, गिर्वा को निर्देशित किया कि श्रीमती गुलाब कुंवर एवं श्री बाबुसिंह के पिता श्री हमेरसिंह पिता नवल सिंह राजपूत, निवासी नाथावतों का गुड़ा के विधिक वारिसानों की पुनः जांच की जाकर श्री हमेरसिंह के नाम अंकित मरूसी भूमि का विधिक नियमों के अन्तर्गत नामान्तकरण खोला जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 02.07.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर